न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा० पत्र संख्या 54 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. नैनसिंह पुत्र ओमसिंह जाति रावत निवासी– खोडिया तहसील– सोजत जिला– पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 26/06/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम खोडिया पटवार हल्का खोडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.1000, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.0200, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.1700, खसरा नम्बर 951 रकबा 0. 2100, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.3500 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर की भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के सगे भाईयों की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। इसी प्रकार प्रार्थी के अन्य भाई बालुसिंह का 1/3 हक हिस्सा व डाउसिंह का 1/3 हक हिस्सा दर्जसुदा है। प्रार्थी के पिता ओमसिंह का स्वर्गवास उपरान्त सेटलमेंट के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में विरासत का नामान्तकरण इन्द्राज करते वक्त प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये बगैर पैन ऑफ स्लीफ व सदभाविक त्रुटिवश प्रार्थी का नाम नैनसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर अनेसिंह पुत्र ओमसिंह अंकित कर दिया गया था। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम नैनसिंह पुत्र ओमसिंह है जो कि त्रुटि मात्र पैन ऑफ स्लीप की वजह से नैनसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर अनेसिंह पुत्र ओमसिंह अंकित हो गया है। प्रार्थी के परिवार में अनेसिंह नाम का अन्य कोई सदस्य नहीं है अर्थात अनेसिंह व नैनसिंह एक ही व्यक्ति है, जो प्रार्थी है। इसी प्रकार ग्राम खोडिया में स्थित खसरा नम्बर 948 रकबा 0.3300 हैक्टर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की स्थित है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम नैनसिंह दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी का ग्राम पंचायत खोडिया द्वारा जारी परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर की पासबुक व जोधपुर विद्युत वितरण के विद्युत बिल इत्यादि सरकारी दस्तावेजात में भी प्रार्थी का दस्तावेजी नाम नैनसिंह ही अंकित है जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम नैनसिंह के स्थान पर अनेसिंह दर्ज करने में त्रुटि की है। उक्त त्रुटि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

कारण प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी योजनाओं से वंचित होना पड रहा है तथा प्रार्थी को भारी असुविधा हो रही है। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खोडिया पटवार हल्का खोडिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.1000, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.0200, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.1700, खसरा नम्बर 951 रकबा 0.2100, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.3500 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह दुरूस्त दर्ज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोड़िया में स्थित है। पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्यों को वादी स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा संख्या 03 के क्रम में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न जमाबंदी ख0न0 948 में दर्ज खातेदार, ग्रा0पं0 खोड़िया द्वारा जारी परिवार कार्ड संख्या 1216, वोटर कार्ड संख्या /21/160/087024, आधार कार्ड संख्या 682235503172, भामाशाह कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की खाता डायरी के आधार पर सरहद मौजा खोड़िया के खसरा संख्या 1213, 1226, 1235, 1237, 1425, 951, 958 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह जाति रावत 1/3 हिस्सा करने पर कोई आपत्ति नहीं होना, पैरा 04 में वर्णित तथ्यों को स्वयं सिद्ध करना तथा 5 से 07 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि उसने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खोडिया पटवार हल्का खोडिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.1000, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.0200, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.1700, खसरा नम्बर 951 रकबा 0.2100, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.3500 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सम्वत् 2075–78 ग्राम खोड़िया के खाता संख्या 225, 180 की जमाबंदी की प्रतिलिपि, ग्रा0पं0 खोड़िया सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थी के परिवार कार्ड की प्रति, पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, बैंक डायरी की प्रति, बिजली बिल की प्रति, राजस्व बुक की प्रति पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह दुरूस्त किये जाने ने सहमति व्यक्त की है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा ग्राम खोडिया पटवार हल्का खोडिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.1000, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0. 1500, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.0200, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.1700, खसरा नम्बर 951

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

रकबा 0.2100, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.3500 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खोडिया पटवार हल्का खोडिया भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.1100, खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.1000, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.0200, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.1700, खसरा नम्बर 951 रकबा 0.2100, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.3500 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अनेसिंह पुत्र ओमसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र ओमसिंह के नाम रेकर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 26/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत